

आदेश

उत्तर प्रदेश/उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कम के बाहर के पदों प्रथम समूह "ब" सीधी भर्ती नियमावली 2003 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तिभागीय धन समिति की संरुक्ति एवं निदेशालय के पत्रों 121-कम-संनन/सं-स्था/समूह"ब"निष्ठा-2004 दिनांक 3-11-04 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुपी/निर्देश के अन्तर्गत निम्न अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित पद/संस्था में वेतनमान 4500-7000 के पद पर कार्यभार प्रारंभ करने की तिथि से अस्थाधी रूप से नियुक्त किया जाता है।

प्रमाण	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पद का नाम	संस्था का नाम
--------	-------------------------	-----------	---------------

- |    |   |                                |                                   |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1- | सुखी राकेश्वर मिश्र पुत्र श्री कलराम मिश्र,<br>फ्लोर-11, कोटर रो ए-162<br>बोयला नगर, बनगाद [बाराबंका]<br>826005 | पुस्तकालयाध्यक्ष               | राजकीय<br>पालीटेकनिक,<br>पतेलपुर  |
| 2- | अश्व सिंह पुत्र श्री सुन्दी नाम<br>एन.पी.जी. मोडो 4/376<br>चिन्मय हास्पिटल कैम्पस, एवं लेन,<br>इलाहाबाद- 211002 | कम्प्यूटर प्रोग्रामर/<br>ऑपरटर | राजकीय<br>पालीटेकनिक<br>मिर्जापुर |

उनकी यह नियुक्तियाँ पूर्णतया अस्थाधी है तथा आतनादेश सं 20-1-74-3 दिनांक 11 जून 1975 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें सभी भी किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग देता कि अभिप्रेत है का दावा हुआ पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं हुये प्रमाण पत्र दिये जाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आने की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

नियुक्त अभ्यर्थी को पदभार प्रारंभ करने समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

- 1-योग्यतासम्बन्धी सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित छाया प्रतियाँ।
  - 2-दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त वरिष्ठ प्रमाणपत्र जो उनके सम्बन्धी न हों।
  - 3-सुशिक्षित/कार्यकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र।
  - 4-एक पत्नी/पति के जीवित होने का प्रमाण-पत्र।
  - 5-भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाघान रहने का प्रमाण पत्र।
- नियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 25-11-04 तक नियुक्त पद पर पदभार अवश्य प्रारंभ कर लें। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार प्रारंभ न करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माने जायेगे। सम्बन्धित प्रधानाचार्य अभ्यर्थी के पदभार प्रारंभ की तृपना के साथ-साथ उपरोक्त प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ निदेशालय/देशीय कार्यालय को भेजना अनिवार्य है।
- पदभार प्रारंभ करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को कोई बाधाभरता देय नहीं होगा।

। जी०ए०ए०।  
संयुक्त निदेशक

देशीय कार्यालय प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी।

संख्या 1982-86 /संनि०पु०-स्था०/निपु०-कम्य०पुस्त०/०५ दिनांक 9-11-04

उपरोक्त की प्रति निम्न को तृपनार्थ एवं आचार्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-